12-12-19 प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी को सुना गया राज पैरोकार को सुना गया बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 280/2019

1. उग्रसेन पुत्र श्री कालूराम जाति जाट निवासी 1 ए.आर.डब्ल्यू. तहसील व जिला हनुमानगढ़

– – प्रार्थी

– :: बनाम ::–

1. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ ।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. बाबत पाईप लाईन

उपस्थित अभिभाषगण

1. उग्रसेन पुत्र श्री कालूराम — प्रार्थी स्वंय
2. राज पैराकार — अप्रार्थी संख्या 2

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 12-12-2019

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहील हनुमानगढ़ के चक नम्बर 2 ए.आर. डब्ल्यू. में 50 बीघा कृषि भूमि पड़ती है। प्रार्थी नें अपनी भूमि के पत्थर नम्बर 107/342 मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 20/4, 21/3 में 0.234 हैक्टर भूमि में अनुदानित डिग्गी बना रखी है तथा टयूबैल लगा रखा है तथा कनैक्शन लिया हुआ है। प्रार्थी उक्त डिग्गी व कुए से पानी ले जाकर अपनें नाम अन्य रकबा की सिंचाई करता है। इसलिए प्रार्थी को पत्थर नम्बर 107/342 मुरब्बा नम्बर 12 किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25, पत्थर नम्बर 109/342 मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 21, 22, 23, पत्थर नम्बर 107/340 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 21 ता 25, पत्थर नम्बर 108/342 मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25, पत्थर नम्बर 109/342 मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 21, 22, 23, में गैर मुमकीन रास्ता स्वीकृत है प्रार्थी उक्त रास्ता से पाईप लाईन डालकर सिंचाई सुविधा चाहता है प्रार्थी विभाग के निमयों का उलग्न नहीं करेगा प्रार्थी नियमानुसार पाईप लाईन की मंजूरी चाहता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी भुमि की अच्छी सिचाई हेतू पाईप लाईन डालने की मंजूरी देने की कृपा करें। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार हनुमानगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक पटवारी हल्का अराईयांवाली के अनुसार चके 2 ए.आर.डब्ल्यू. में प्रार्थी उग्रसेन पुत्र कालूराम के नाम 5.374 हैक्टर, प्रार्थी के पिता कालूराम पुत्र रतीराम के नाम से 4.876 हैक्टर भूमि जमाबंदी दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिकॉर्ड पत्थर नम्बर 107/342 मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक 0.051 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, पत्थर नम्बर 109/342 मुरब्बा नम्बर मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21/.064, 22/.013, 23/.013 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, पत्थर नम्बर 107/340 मुरब्बा नम्बर 02 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक 0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता जमाबन्दी रिकॉर्ड दर्ज है। प्रकरण में यदि परिवादी द्वारा उक्त गैर मुमकिन रास्ता में से कृषि भूमि की सिंचाई सुविधा हेतु पाईप लाईन पूर्व में ही दबाकर रखी गई हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

लगातार 2

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

प्रकरण में उभयपक्ष के बहस सुनी गई दौरानें बहस प्रार्थी द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें बाबत निवेदन किया। राज पैरोकार द्वारा अपनें जबाब को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का चाही गई पाईप लाईन पूर्व में दबाई गई है परन्तु रास्ते के सन्दर्भ में राज्य सरकार की भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ही पाईपा लाईन की स्वीकृती दी जानी उचित होगी।

– :: आदेश ::–

बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी द्वारा सिंचाई सुविधा हेतु गैर मुमकिन रास्ते में भी पाईप लाईन की स्वीकृति चाही है, जो न्यायोचित नहीं है, क्योकि भविष्य में राज्य सरकार की योजनाओं में सड़क या कोई पेयजल सम्बंधी पाईप लाईन या कोई अन्य दूरसंचार जैसी योजनाओं में कोई भूमिगत कार्य होना हो तो किसी पक्षकार को पाईप लाईन की दी गई स्वीकृति से अनावश्यक व्यधान पैदा होगा। इसलिये प्रार्थी द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में से भूमिगत पाईप लाईन की स्वीकृति नहीं दी जा सकती इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिंनाक 12-12-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.01.01 17:04:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: